राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.3(1)नविवि/II/2023 जयपुर, दिनांक: 5 OCT 2023

निदेशक,
राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर,,
जयपुर।

विषयः– राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर (Rajasthan International Centre, Jaipur) के प्रबंधन हेतु एक स्वायत्तशासी संस्था सोसायटी एक्ट के तहत जयपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबन्धन संस्था, जयपुर (Jaipur Convention Centre Management Society, Jaipur) बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मंत्रिमडल की आज्ञा संख्या 224/2023 दिनांक 04.10.2023 के अनुसरण में राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर (Rajasthan International Centre, Jaipur) के प्रबंधन हेतु एक स्वायत्तशासी संस्था सोसायटी एक्ट के तहत जयपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबन्धन संस्था, जयपुर (Jaipur Convention Centre Management Society, jaipur) बनाये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों की पालना प्राधिकरण स्तर पर किये जाने की शर्त पर एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1. दी राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर (The Rajasthan International Centre, Jaipur) के प्रबंधन हेतु एक स्वायत्तशासी संस्था सोसायटी एक्ट के तहत् जयपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था, जयपुर बनाया जावें।
2. जयपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था, जयपुर की इन्टरिम एक्जीक्यूटिव कमेटी को संस्था के नियमों में से, गवर्निंग बोर्ड की मुख्य सचिव द्वारा अध्यक्षता और उसमें राज्य सरकार के 2 प्रतिनिधियों के मनोनयन संबंधी प्रावधानों को हटाये जाने और यथोचित संशोधन किये जाने की स्वीकृति दी गई।
3. दी राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर अब जयपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था, जयपुर के एम.ओ.ए. के क्लॉज (iv) की इन्टरिम एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र 8 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड (5 सदस्य आजीवन, फाउण्डर, संरक्षक एवं अन्य सदस्यों में से, दो सदस्य (आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग) और एक सेन्टर का निदेशक) का गठन किया जायेगा। चूंकि राजस्थान इण्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण की संपत्ति है, अतः आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं

आवासन विभाग को गवर्निंग बोर्ड के रूप में रखा जाना है। गवर्निंग बोर्ड के गठन होने से संस्था में इन्टरिम एक्जीक्यूटिव कमेटी की भूमिका यथाशीघ्र समाप्त हो जायेगी, परन्तु जब तक 8 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड का गठन हो, तब तक के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इन्टरिम एक्जीक्यूटिव कमेटी अपना काम करती रहेगी। इस इन्टरिम एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा लिये गये सभी निर्णय एक स्वायत्तशासी संस्था के गवर्निंग बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय समझे जायेंगे, अर्थात् उन्हें राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय नहीं माना जायेगा।

4. **जयपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था, जयपुर** को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम बनाने के लिए निम्न राजकीय संस्थानों द्वारा कुल 40 करोड़ रूपये की राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

क्र.सं.	नाम संस्था	राशि
1.	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (JDA)	10 करोड रूपये
2.	राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जयपुर (RHB)	10 करोड रूपये
3.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (RIICO)	10 करोड रूपये
4.	राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (RSMML)	10 करोड रूपये
	कुल	**40 करोड रूपये**

संचालन संस्था को राजकीय संस्थानों द्वारा यह प्रदत्त राशि 10 वर्षों में देय होगी।

5. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 44 कमरों के एक गेस्ट हाऊस सहित राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर, जयपुर परिसर के सभी चालू/बकाया विकास कार्य एक वर्ष में पूरे कराये जायेंगे और उसके पश्चात् इसे जयपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था, जयपुर को 10 वर्ष के लिए लीज पर दे दिया जायेगा, जिसकी वार्षिक लीज राशि **एक करोड़ रुपये** होगी और जीएसटी, यदि लागू हो, लिया जायेगा। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लीज अविध को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु अपने उद्देश्यों से भटकने या उन्हें प्राप्त करने में विफल रहने की दशा में, उक्त स्वायत्तशासी संस्था को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार दी गई लीज कभी–भी समाप्त की जा सकेगी।

6. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा **जयपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था, जयपुर** के साथ लीज निष्पादित होने तक राजस्थान इण्टरनेशनल सेन्टर के नियमित रखरखाव का व्यय वहन किया जायेगा, इस बाबत जयपुर विकास प्राधिकरण व **जयपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था, जयपुर** के बीच एम.ओ.यू. सम्पादित किया जाएगा। प्रारम्भिक चरण में दी राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर के आडिटोरियम आदि की बुकिंग से जयपुर विकास प्राधिकरण के खाते में प्राप्त राशि भी अपने कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने व अन्य प्रारम्भिक खर्चों के वहन हेतु **जयपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था, जयपुर** के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाएगी। लीज अवधि में मेजर रिपेयर्स (major repairs) एवं आरआईसी के प्रयोजनार्थ कोई अतिरिक्त या नया विकास कार्य जयपुर विकास

प्राधिकरण एवं जयपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था, जयपुर की आपसी सहमति से ही कराया जा सकेगा।

7. **जयपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था, जयपुर** व जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के मध्य किसी प्रकार कोई विवाद होने की स्थिति में विवाद का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर किया जायेगा। राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
8. **जयपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था, जयपुर** को राज्य सरकार समय–समय पर आवश्यक निर्देश दे सकेंगी।
9. मैमोरेण्डम ऑफ एसोसियशन तथा नियम व विनियम के प्रावधानों के निर्वचन (Interpretation) के संबंध में निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जावेंगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जुगल किशोर मीणा)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मंत्रीमण्डल आज्ञा के पालनार्थ।
6. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
7. जिला कलक्टर, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उपविधि परामर्शी/उप नगर नियोजक, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय